

प्रेषक,

राम बाबू यादव,
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
चन्दौली।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
चन्दौली।

विषय:-शासनादेश संख्या -14/2024/सा - 3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28
जून 2024 के क्रम में निर्धारित प्रारूप पर विकल्प प्रस्तुत किये जाने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन करना है कि शासनादेश संख्या -14/2024/सा-3-243/दस-
2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून 2024 के क्रम में मेरे द्वारा पुरानी पेंशन
योजना (OPS) का विकल्प चुना गया है।

अतः आपसे सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र को माननीय
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें, जिससे मुझे पुरानी
पेंशन योजना का लाभ मिल सके। आपकी महती कृपा होगी।

सादर।

भवदीय

Radwan
12/07/24

(राम बाबू यादव)

विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)

चन्दौली।

JUDGE SHIP, CHANDAULI
No 917 /XV Dated 15.07.2024
Forwarded

(Sunil Kumar)

District Judge

Chandauli


15.07.2024

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11
जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र


1. नाम	राम बाबू यादव
2. वर्तमान पदनाम	अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली।
3. वेतनमान	J5 (144840-194660)
4. वर्तमान विभाग का नाम	इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश
6. विज्ञप्ति की तिथि	22-28 नवम्बर 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	15.06.2006
8. योगदान की तिथि (NPS)	01.01.2009
9. जन्म तिथि	03.01.1976
10. सेवानिवृत्ति की तिथि	31.01.2036

मैं राम बाबू यादव पुत्र श्री केदार नाथ यादव शासनादेश संख्या- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (OPS) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर : 
नाम : राम बाबू यादव
पदनाम : अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
चन्दौली।

घोषणा पत्र

मैं राम बाबू यादव, अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर : 
नाम : राम बाबू यादव
पदनाम : अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)
चन्दौली।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री राम बाबू यादव, अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति